FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भींयाराम		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या– 160/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.11.2021	वादी भींयाराम पुत्र भाणुराम जाति जटिया निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प खेजड़ला** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 815/2 रकबा 1.9254 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता भाणुराम उर्फ भागूराम जी की थी। खातेदार भाणुराम उर्फ भागूराम का देहान्त करीब 25 वर्ष पूर्व में हो गया। वादी के पिता भाणुराम उर्फ भागूराम पुत्र शेराराम की भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया तब वादी का नाम भींयाराम के बजाय मांगीलाल लिख दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम भीयाराम है तथा सरकारी दस्तावेज भी भी[illegible]त्र भाणुराम के नाम से जारी किये हुए है। अ[illegible] उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में मांगीलाल [illegible] के [illegible]न पर भीयाराम पुत्र भाणुराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित [illegible] जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी भींयाराम पुत्र भाणुराम ने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:07 IST
Reason: SelfAttested

अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी भींयाराम का आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशनकार्ड, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 604, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 490 आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत खेजड़ला द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 22.11.2021 को पेश किया है। तथा वादी के समर्थन में बयान करणाराम पुत्र भाणुराम जाति जटिया निवासी खेजड़ला के कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में

तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में मांगीलाल पुत्र भागूराम गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। एवं मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम भींयाराम पुत्र भाणुराम के बजाय मांगीलाल पुत्र भागूराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 815/2 रकबा 1.9254 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में मांगीलाल पुत्र भागूराम के स्थान पर भींयाराम पुत्र भाणुराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इसी मुताबिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम खेजड़ला में खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

	बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा [illegible]

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:07 IST
Reason: SelfAttested

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भींयाराम पुत्र भाणुराम		राजस्थान सरकार जरिये
जाति जटिया निवासी खेजड़ला		तहसीलदार बिलाड़ा

तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 160/2021

निर्णय **दिनांक** :– 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 815/2 रकबा 1.9254 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में मांगीलाल पुत्र भागूराम के स्थान पर भींयाराम पुत्र भाणुराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:07 IST
Reason: SelfAttested